COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(151)

II/विविध/भिण्ड/भू-रा/2017/1734

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक / 2017 दि.वि.

प्रकरण क्रमांक 2661–1 / 2016 निगरानी

श्रीमती लोंगश्री पत्नी श्री रामबाबू जाटव निवासी हरिवंश का खोड हाल निवासी सरोज नगर भिण्ड म.प्र.

श्री विनोद श्रीवास्तव द्वारा आज दि. 9.6.2017 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 9-6-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

.... आवेदक

बनाम

1. उदयराज सिंह पुत्र श्री बजरंग सिंह निवासी ग्राम जामपुरा तहसील व जिला भिण्ड म.प्र.
2. रामकिशोर पुत्र जगन्ना प्रसाद निवासी श्रीराम गली पुरानी बस्ती भिण्ड म.प्र.
3. निखिल कुमार जैन पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार जैन , निवासी अग्रवाल कालोनी अटेर रोड भिण्ड
4. महेश खत्री पुत्र श्याम नारायण खत्री निवासी हनुमान मंदिर के पास बजरिया भिण्ड म.प्र.

.... अनावेदकगण

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 152, 153 सी.पी.सी.

माननीय न्यायालय,

अनावेदक क्रमांक 1 का आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, आवेदिका द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना संभाग मुरैना के आदेश के विरूद्व निगरानी प्रस्तुत की गई थी। जिसका निराकरण दिनांक 19.5.2017 को किया गया है जिसका प्रकरण क्रमांक निगरानी 2661–1/ 2016 है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक दो / विविध / भिण्ड / भू–रा. / 2017 / 1734

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16–06–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री विनोद श्रीवास्तव उपस्थित होकर आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 152, 153 सी0 पी0 सी0 का प्रस्तुत किया गया है। आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के विरूद्व इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की थी जो प्र0 क0 निग0 2661–एक / 16 पर दर्ज होकर 19.5.17 द्वारा आदेश पारित किया गया था, लेकिन टाइपिंग की त्रुटि के कारण अपर आयुक्त चंबल संभाग का आदेश दिनांक आदेश के पेज क्रमांक–2 की दूसरी लाईन में 28.7.17 लिखा गया है लेकिन वह 28.7.16 है। इसी प्रकार आदेश के पेज क्रमांक–4 की आखरी की दूसरी लाईन में 28.7.16 की जगह 28.7.17 लिखा गया है। अतः सुधार करने का अनुरोध किया गया है। 2– आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार किया जाता है तथा आदेश के पेज क्रमांक–2 की दूसरी लाईन में 28.7.17 के स्थान पर आदेश दिनांक 28.7.16 पढ़ा जावे, इसी प्रकार आदेश के पेज क्रमांक–4 की आखरी की दूसरी लाईन में 28.7.17 के स्थान पर आदेश दिनांक 28.7.16 पढ़ा जावे। यह आदेश पत्रिका, आदेश की मूल अंग मानी जावेगी। सदस्य	